

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक- वा0क0अधि0/खण्ड पीठ/ 187 /2023 दि0 लखनऊ: जनवरी,30,2023

-:संशोधित आदेश:-

मुख्यालय के आदेशांक 134/20232 दिनांक 18.01.2023 के द्वारा दिनांक 20.02.2023 से दिनांक 22.02.2023 तक बरेली एवं दिनांक 06.02.2023 से 08.02.2023 तक मेरठ में युगल पीठ गठित की गयी थी जिसमें न्यायिक सदस्य पीठ बरेली को नामित किया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय की विज्ञप्ति संख्या 243/2023 दिनांक 25.01.2023 के द्वारा श्री क्षितिज कुमार श्रीवास्तव, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-बरेली का स्थानान्तरण निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पद पर किया गया है।

अतः एतद द्वारा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पीठ बरेली में दिनांक 20.02.2023 से 22.02.2023 तक एवं पीठ मेरठ में दिनांक 06.02.2023 से 08.02.2023 तक गठित युगल पीठों को निरस्त किया जाता है।

ह0/ 30.01.2023

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण।

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रष्ठांकन- वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 187 /2023 दिनांक:उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ- बरेली/ पीठ-1/2 मेरठ/ पीठ-2 कानपुर।
2. मुंसरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक(यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से


(तरुण कुमार)

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।